बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री अनिल कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने पत्रांक–2398, दिनांक–30.11.2016 द्वारा, ऐसे समय में जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार का भ्रमण कार्यक्रम तय था, यह प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक– 29.11.16 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, के औचक निरीक्षण में आई०टी०आई० भवन बंद पाया गया, प्राचार्य के साथ संस्थान के अन्य कर्मी भी अनुपस्थित पाये गये तथा आवास की स्थिति दयनीय पायी गयी। विभागीय अधिसूचना संख्या–64 दिनांक–03.06.2016 द्वारा श्री अनिल कुमार का महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज स्थानंतरण किया गया था। परन्तु उन्होंने तीन माह से अधिक समय के बाद नव पदस्थापित संस्थान में पदभार ग्रहण किया एवं विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के उत्तर में मात्र पदभार ग्रहण का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। पुनः जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने अपने पत्रांक–161 दिनांक–10.02.2017 द्वारा दिनांक–10.02.2017 को औचक निरीक्षण में प्राचार्य के साथ कुछ अन्य कर्मचारियों के अनुपस्थित पाये जाने की सूचना दी। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने अपने पत्रांक–174 दिनांक–08.03.2017 तथा स्मार पत्रांक–294 दिनांक–05.05.2017 द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित राशि से योजनाओं के क्रियान्वयन में अरूचि दिखाने का भी आरोप लगाया है।

2. उपर्युक्त बिंदुओ के आलोक में श्री अनिल कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज से स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं उनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री अनिल कुमार के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर कुल चार आरोपों के लिए आरोप पत्र–'क' गठित किया गया एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक–1508 दिनांक–22.06.17 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अनिल कुमार, प्राचार्य, के द्वितीय स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी।

3. **आरोप संख्या–01** के संबंध में श्री अनिल कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में माह नवम्बर, 2016 की उपस्थिती पंजी की प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए उल्लेख किया है कि दिनांक–29.11.16 को संस्थान बंद नहीं था। स्पष्टीकरण के साथ संलग्न उपस्थिती पंजी माह नवम्बर, 2016 में किसी भी तिथि को कार्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। अहस्ताक्षरित पंजी यह प्रमाणित नहीं करती कि दिनांक–29.11.2016 को संस्थान खुला था एवं प्राचार्य संस्थान में उपस्थित थे। प्राचार्य आवास में आवासन नहीं करने के संबंध में उल्लेख किया गया है कि वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण वे किराये के मकान में रहते हैं। साक्ष्य के रूप में मकान मालिक द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है परन्तु इस प्रमाण–पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि श्री कुमार कब से इस मकान में रह रहे थे। प्राचार्य आवास की दयनीय स्थिति के संबंध में श्री अनील कुमार ने श्री रमेश प्रसाद साह एवं श्री दीपक कुमार रवानी द्वारा दिनांक–10.12.20016 को हस्ताक्षरित बयान की प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए उल्लेख किया है कि प्राचार्य आवास में गंदगी नहीं थी। प्राचार्य को संबोधित इस बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक–29.11.2016 को जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं उनके सहयोगी पदाधिकारी द्वारा आपकी की अनुपस्थिति में प्राचार्य का आवास जबरदस्ती खुलवाया गया था। परन्तु इस साक्ष्य की भी विश्वसनीयता संदिग्ध है क्योंकि जब जिला पदाधिकारी एवं उनके सहयोगी पदाधिकारी द्वारा दिनांक–29.11.2016 को कथित रूप से जबरदस्ती आवास खुलवाया गया था तो इसकी सूचना प्राचार्य को दस दिनों के बाद क्यों दी गई। इसी प्रकार दिनांक–29.11.2016 की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में प्राचार्य द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक–29.11.16 को सरकारी कार्य हेतु आई०ए०एस० भवन, पटना में उपस्थित थे। साक्ष्य के रूप में प्राचार्य द्वारा दो पत्र संलग्न किये गये है जो दिनांक–29.11.16 तथा दिनांक– 28.11.16 को निर्गत है। उल्लेखनीय है कि दिनांक– 29.11.2016 को हस्ताक्षरित पत्र कार्यालय से निर्गत है जबकि दिनांक–28.11.2016 को हस्ताक्षरित पत्र 'पी०/टी०/कैम्प–01 से निर्गत है। यह तथ्य विरोधाभाषी हैं एवं प्राचार्य के कथन अविश्वसनीय हैं।

4. **आरोप संख्या–02** के संबंध में श्री अनिल कुमार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि दिनांक–22.06.2016 से 31.07.2016 तक वे उपार्जित अवकाश में थे। इस अवधि में अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के

कारण दिनांक–01.08.2016 से दिनांक– 06.10.2016 तक चिकित्सक की सलाह पर चिकित्सा अवकाश में चले गये जिसकी सूचना पत्रांक–शून्य (कैम्प) दिनांक–26.08.2016 के द्वारा दी गई थी। परन्तु श्री कुमार द्वारा दिनांक– 26.08.2016 को हस्ताक्षरित पत्र विभाग को दिनांक–16.09.2016 को प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा अवकाश की ससमय सूचना विभाग को नहीं दी गयी।

5. **आरोप संख्या–03** के संबंध में श्री अनिल कुमार द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि चूकि वर्तमान में सीमा क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई है इसलिए उक्त राशि को व्यय करने हेतु कार्यालय पत्रांक–206 दिनांक–06.02.2017 द्वारा स्वीकृति आदेश की मांग की गई थी। परन्तु श्री अनिल कुमार के उपर्युक्त पत्र दिनांक–06.02.2017 के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–515 दिनांक–23.02.2017 द्वारा उन्हें जिला पदाधिकारी, किशनगंज से व्यक्तिगत सम्पर्क कर नियमानुसार अविलम्ब कार्रवाई का निदेश दिया गया। पुनः निदेशालय के पत्रांक–711 दिनांक–17.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष–2016–17 की समाप्ति के मद्देनजर प्राप्त आवंटन को नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री अनिल कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि व्यय नहीं की गई और टाल मटोल की नीति अपनाई गई।

6. **आरोप संख्या–04** के संबंध में श्री अनिल कुमार द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए दिनांक–09.02.2017 से 12.02.2017 तक आकस्मिक अवकाश से संबंधित आवेदन पूर्व में ही निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को दिया गया था एवं इसकी प्रति जिला पदाधिकारी, किशनगंज को दी गई थी। परंतु श्री अनिल कुमार द्वारा न तो निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा अवकाश की स्वीकृति के संबंध में कोई साक्ष्य दिया गया है एवं न ही निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के पत्रांक–4376 दिनांक–02.12.2016 के आलोक में कोई साक्ष्य दिया है कि अवकाश में जाने के पूर्व उन्होंने जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अनुमति प्राप्त की थी। निदेशालय के उपर्युक्त पत्रांक– 4376 दिनांक–02.12.2016 द्वारा सभी प्राचार्यों को ये आदेश दिया गया है कि बिना जिला पदाधिकारी के अनूमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। इसी प्रकार श्री संतोष कुमार, उ०व०लि०, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज के दिनांक–21.01.2017 से 19.02.17 तक उपार्जित अवकाश के संबंधित जो आदेश साक्ष्य के रूप में पहले स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया गया था वह निर्गत नहीं था जबकि द्वितीय स्पष्टीकरण में श्री कुमार ने उल्लेख किया है कि ज्ञापांक–215 दिनांक– 22.02.17 द्वारा अवकाश स्वीकृत है।

7. समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री अनिल कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज द्वारा आरोप संख्या–01, 02, 03 तथा आरोप संख्या–04 के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में जो साक्ष्य दिये गये हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं एवं संबंधित कथन आरोपों को खण्डित नहीं करते। इस प्रकार श्री अनिल कुमार का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है एवं उन्होनें मात्र आरोपों से बचने के लिए बहानेबाजी करने का प्रयास किया है। उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री अनिल कुमार के विरूद्ध लघु दण्ड के रूप में तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है।

8. अतएव, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित नियमावली, 2007) के नियम 14 के कंडिका (V) के आलोक में श्री अनिल कुमार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज के विरूद्ध तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

9. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री अनिल कुमार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री अनिल कुमार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०–6/श्रम वि० आ० (01)– 49/2016 श्र०सं०– 58 पटना, दिनांक–08/01/2018
प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/ सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8/1/18
सरकार के उप सचिव
8/1/18